ऑन लाईन नं. GCMS 2021/150

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 07/2021

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री अजीत गोदारा पुत्र श्री मनफूल सिंह गोदारा, जाति जाट निवासी मदेरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
मैसर्स :– नेचर लेण्ड ओग्रेनिक फूड प्रा. लि. डी 325–326, एग्रो फूल पार्क, श्रीगंगानगर

निदेशक

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 23.03.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.11.2020 को दोपहर बाद 01.00 पी.एम. पर दौराने निरीक्षणार्थ अजीत गोदारा पुत्र श्री मनफूल सिंह गोदारा, जाति जाट निवासी मदेरा, श्रीगंगानगर निदेशक, नेचर लेण्ड ओग्रेनिक फूड प्रा. लि. डी 325–326, एग्रो फूल पार्क, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/संस्थान पर मालिक अजीत गोदारा पुत्र श्री मनफूल सिंह गोदारा, जाति जाट निवासी मदेरा, श्रीगंगानगर निदेशक, नेचर लेण्ड ओग्रेनिक फूड प्रा. लि. डी 325–326, एग्रो फूल पार्क, श्रीगंगानगर कारोबार कर रहा था, जिसका विकेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ निर्माण ईकाई पर **ओग्रेनिक सरसो तेल, नेचरलेण्ड ब्राण्ड** के 1–1 लीटर की 1000 पैक पेट बोतल, मौके पर विकय हेतु रखा था, शुद्वता की जांच हेतु विकेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विकेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विकेता दी और खरीद प्राप्ति की रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात **ओग्रेनिक सरसों तेल, नेचरलेण्ड ब्राण्ड** के 1–1 लीटर की 1000 पैक पेट बोतल, खाद् पदार्थ लिये , जिसके पेटे 1200/– रूपये नगद देकर गवाहन, विकेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **ओग्रेनिक सरसों तेल, नेचरलेण्ड ब्राण्ड** के कुल 4 बोतल खादर्य

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

पदार्थ नमूनें वास्तें लिये, जिसकों मूल ही चार बोतलों को प्रत्येक को लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर **के–1095** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1095** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया।प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण **के–1095 ओग्रेनिक सरसों तेल, नेचरलेण्ड ब्राण्ड** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता अजीत गोदारा ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम. एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/217/एक्ट/2020/218 दिनांक 13.11.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **ओग्रेनिक सरसों तेल, नेचरलेण्ड ब्राण्ड** (Misbranded Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त अजीत गोदारा पुत्र श्री मनफूल सिंह गोदारा, मैसर्स नेचर लेण्ड ओग्रेनिक फूड प्रा. लि. डी 325–326, एग्रो फूल पार्क, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **ओग्रेनिक सरसों तेल, नेचरलेण्ड ब्राण्ड** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.09.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 04.11.2020 को अप्रार्थीगण के सस्थान मैसर्स नेचर लेण्ड ओग्रेनिक फूड प्रा.लि., डी 325–326 एग्रो फूल पार्क, श्रीगंगानगर से Mustard Oil का नमूना लेबल व शुद्वता की जांच हेतु लिया गया था एवं Public Health Laboratory, बीकानेर के द्वारा नमूना निम्नांकित कारणों से Misbranded पाया गयाः–

"From Date of Packaging) Given in small Contravention of Regulation No.2.2.2.10 of Food Safety and Regullations, 2011."

यह कि अप्रार्थीगण के संस्थान से जांच हेतु लिया गया Mustard Oil का नमूना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं अधिनियम के अन्तर्गत एवं अधिनियम के अन्तर्गत बने Regulations के अनुसार शुद्वता की दृष्टि से निर्धारित मानकों के अन्तर्गत शुद्व पाया गया और इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्वता नहीं पाई गई, लेकिन सैम्पल को Misbranded उपरोक्त कारणों से बतलाया गया जो कि सही नहीं है और इसके सम्बन्ध में अप्रार्थीगण का निम्नानुसार निवेदन है :–

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

1. यह कि अप्रार्थीगण के द्वारा Mustard Oil के लिए Regulations में निर्धारित प्रारूप और मानको के उल्लेख आदि के अन्तर्गत लेबल Mustard Oil की प्रत्येक बोतल पर लगाया हुआ है। Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regullations, 2011के अन्तर्गत अप्रार्थी संस्थान से लिया गया Mustard Oil का सैम्पल किसी भी प्रकार से Misbranded की श्रेणी में नहीं आता है। अधिनियम की धारा 3(1)(ZF)(C)(i) के अन्तर्गत Misbranded की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार अप्रार्थी संस्थान से लिया गया Mustard Oil का लेबल Misbranded की श्रेणी में नहीं आता है।
2. यह कि शीर्षक प्रकरण के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई उल्लंधना का कारण अथवा आधार परिवाद में विद्यमान नहीं है और द्वितीय, लेबल के संदर्भ में स्वयं खद्य सुरक्षा अधिकारी ही मौके पर इसकी सन्तुष्टि कर सकते थे कि क्या लेबल निर्धारित नियमावली के अनुरूप है अथवा नहीं, लेकिन खद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा सैम्पल लिए जाने के समय Form VA में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।
3. यह कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधनों के अन्तर्गत यदि किसी प्रकार का कोई दोष प्रकट होता है तो उसके सम्बन्ध में यह विवेचन आवश्यक हो जाता है कि वह किस प्रकृति का है। इस सन्दर्भ में अधिनियम 2006 की धारा 49 के प्रावधान आकर्षित होते है।
4. यह कि शुद्वता की दृष्टि से अप्रार्थी संस्थान से लिया गया Mustard Oil का पूर्णतः शुद्व और निर्धारित मानक स्तरों के अनुरूप पाया गया और इनमें किसी प्रकार की मिलावट अथवा रंग आदि का कोई अंश नहीं पाया गया , लेकिन Misbranded का आधार केवल यह लिया गया है कि लेबल पर छोटे अक्सरों की लिखावट है, लेकिन यह कहीं नहीं उल्लेख किया गया है कि Regullation में वर्णित लिखावट की तुलना में लिये गये सैम्पल पर लगे लेबल की लिखावट में कितनी भिन्नता है।
5. यह कि अप्रार्थीगण द्वारा अधिनियम और अधिनियम के अन्तर्गत बने लेबल और पेंकिंग से सम्बन्धित Regullations, 2011 की पूर्णतः पालना की जाती रही है और परिवाद के साथ इस सन्द्वर्भ में प्रस्तुत लेबल के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार की पैंकिंग व लेबल के सम्बन्ध में कोई उल्लंधना नहीं की गई है।

अतः जवाब प्रस्तुत करके निवेदन है कि परिवाद खारिज किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **ओग्रेनिक सरसों तेल, नेचरलेण्ड ब्राण्ड** का सैम्पल **के–1095** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/217/एक्ट/2020/218 दिनांक 13.11.2020 द्वारा सब (Misbranded Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि अप्रार्थीगण के द्वारा Mustard Oil के लिए Regulations में निर्धारित प्रारूप और मानको के उल्लेख आदि के अन्तर्गत लेबल Mustard Oil की प्रत्येक बोतल पर लगाया हुआ है। Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regullations, 2011के अन्तर्गत अप्रार्थी संस्थान से लिया गया Mustard Oil का सैम्पल किसी भी प्रकार से Misbranded की श्रेणी में नहीं आता है। अधिनियम की धारा 3(1)(ZF)(C)(i) के अन्तर्गत Misbranded की जो परिभाषा दी गई है, उसके

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अनुसार अप्रार्थी संस्थान से लिया गया Mustard Oil का लेबल Misbranded की श्रेणी में नहीं आता है।शीर्षक प्रकरण के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई उल्लंधना का कारण अथवा आधार परिवाद में विद्यमान नहीं है और द्वितीय, लेबल के संदर्भ में स्वयं खद्य सुरक्षा अधिकारी ही मौके पर इसकी सन्तुष्टि कर सकते थे कि क्या लेबल निर्धारित नियमावली के अनुरूप है अथवा नहीं, लेकिन खद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा सैम्पल लिए जाने के समय Form VA में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधनों के अन्तर्गत यदि किसी प्रकार का कोई दोष प्रकट होता है तो उसके सम्बन्ध में यह विवेचन आवश्यक हो जाता है कि वह किस प्रकृति का है। इस सन्दर्भ में अधिनियम 2006 की धारा 49 के प्रावधान आकर्षित होते है। शुद्वता की दृष्टि से अप्रार्थी संस्थान से लिया गया Mustard Oil का पूर्णतः शुद्व और निर्धारित मानक स्तरों के अनुरूप पाया गया और इनमें किसी प्रकार की मिलावट अथवा रंग आदि का कोई अंश नहीं पाया गया , लेकिन Misbranded का आधार केवल यह लिया गया है कि लेबल पर छोटे अक्सरों की लिखावट है, लेकिन यह कहीं नहीं उल्लेख किया गया है कि Regullation में वर्णित लिखावट की तुलना में लिये गये सैम्पल पर लगे लेबल की लिखावट में कितनी भिन्नता है। अप्रार्थीगण द्वारा अधिनियम और अधिनियम के अन्तर्गत बने लेबल और पेंकिंग से सम्बन्धित Regullations, 2011की पूर्णतः पालना की जाती रही है और परिवाद के साथ इस सन्द्वर्भ में प्रस्तुत लेबल के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार की पैंकिंग व लेबल के सम्बन्ध में कोई उल्लंधना नहीं की गई है। अतः परिवाद खारिज किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Mustard Oil (Nature Land)**" bearing Code No. and Sr. No. **K-1095** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Misbranded Food Under section 3(1)(zf)(C)(i), of Food Safety and Standards Act-2006 की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त अजीत गोदारा पुत्र श्री मनफूल सिंह गोदारा – फर्म नेचर लेण्ड ओग्रेनिक फूड प्रा. लि. डी 325–326, एग्रो फूल पार्क, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त अजीत गोदारा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **ओग्रेनिक सरसों तेल, नेचरलेण्ड** ब्राण्ड बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर